उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 23/2017/1554 /सत्रह-म-2017-6-9(127)/2017

लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त 2017

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या- 21 /2017/1416 /सत्रह-म-2017-6-9(127)/17 दिनांक 24 अगस्त 2017 द्वारा विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4367503/- में से रू0 2765003/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है,जिसके साथ 34 जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संलग्नक में क्रमांक-15 में जनपद सिद्धार्थनगर हेतु कालम संख्या-8 के 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रू0 41433/- के स्थान पर टंकण त्रुटिवश धनराशि रू0 41443 /- अंकित हो गया है। अत: शासनादेश दिनांक 24-08-2017 के संलग्नक में क्रमांक-15 में जनपद सिद्धार्थनगर हेतु कालम संख्या-8 के 42-अन्य व्यय में अंकित धनराशि रू0 41443 के स्थान पर धनराशि रू0 41433/- पढा जाय।

2 शासनादेश संख्या- 21 /2017/1416 /सत्रह-म-2017-6-9(127)/17 दिनांक 24 अगस्त 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 23/2017/1554 (1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3 निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4 संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियोजन अनु0-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in